Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में वार्ड पंच 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जून, मंगलवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये चौथूराम गूर्जर वार्ड पंच, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय मकान का पट्टा जारी करने की एवज में चौथूराम गूर्जर वार्ड पंच एवं बनवारी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज भारद्वाज** द्वारा मय टीम जयपुर ग्रामीण के ट्रेप कार्यवाही करते हुये चौथूराम गूर्जर पुत्र श्री रामनारायण निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बनवारी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की संलिप्तता की जाँच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।